प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–अलीगढ़, इलाहाबाद, गोरखपुर, झॉसी, कानपुर नगर, आगरा, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराईच, बलरामपुर, बांदा, बाराबकीं, बरेली, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रूखाबाद, फैजाबाद, गोण्डा, हरदोई, कन्नौज, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, महारागंज, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संतकबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, उन्नाव, वाराणसी, ललितपुर एवं कासगंज।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2015–16/7542-42 दिनांक 23/10/15

विषय– जनपद/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0, स्तर पर "पोषण पुनर्वास केन्द्रों" (NRCs) के संचालन हेतु दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में कुपोषण एक गंभीर समस्या है तथा एन0एफ0एच0एस0–।।। के अनुसार 3 वर्ष से कम उम्र के 42 प्रतिशत बच्चों का वज़न अपनी उम्र के हिसाब से कम है और लगभग 7 प्रतिशत बच्चे अति गंभीर रूप से कुपोषित है अर्थात इनका वज़न ऊँचाई के अनुपात में बहुत कम है। कुपोषित बच्चों में मृत्यु की सम्भावना 9 गुना अधिक होती है। कुपोषण की रोक थाम एवं उपचार के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के लिये **"पोषण पुनर्वास केन्द्र"** के संचालन हेतु मानव संसाधन के मानदेय एवं आपरेशनल कास्ट हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है इसके उपयोग के सम्बन्ध में दिशानिर्देश निम्नवत है। भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि के दृष्टिगत दिशानिर्देश जारी किये जा रहें है।

उद्देश्यः–

- 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों की उचित देखभाल जिससे कि कुपोषण से होने वाले शिशु एवं बाल मृत्युदर में वांछित कमी लाई जा सके।
- अति कुपोषित बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- बच्चे की खान–पान तथा उचित देखभाल में माताओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता को विकसित करना।
- समुदाय को पोषण सम्बन्धी समस्याओं व समाधान के प्रति जागरूक करना।

पोषण पुर्नवास केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली सेवायेः–

1. भर्ती किये गये कुपोषित बच्चों की चौबीस घन्टे उचित देखभाल।
2. आवश्यक जांच बीमारी एवं जटिलताओं का मानक प्रोटोकाल के अनुरूप चिकित्सकीय उपचार।
3. उपचारात्मक आहार की व्यवस्था।
4. माँ एवं देखभाल करने वाले को उचित खान–पान, साफ सफाई के विषय पर परामर्श देना।
5. माताओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों से कम लागत की पोषण विधियों पर प्रशिक्षित करना।
6. पोषण पुनर्वास केन्द्र में डिस्चार्ज के बाद हर 15 दिन में 2 माह तक 4 बार फॉलोअप करना।

1– वित्त पोषण

"पोषण पुर्नवास केन्द्रों" (NRCs) के संचालन एवं क्रियाशीलता बनाये रखने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2015–16/2465–39 दिनांक 13.07.2015 के माध्यम से संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को दिनांक 10.07.2015 को अवमुक्त की जा चुकी है।

एवं पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2015–16/3098–50, दिनांक 10.08.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त पत्र के माध्यम से 6 माह की आपरेशनल कास्ट एवं संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को दिनांक 05.08.2015 को अवमुक्त की जा चुकी है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाय।

1) ऑपरेशनल कास्ट–

- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये आर0ओ0पी0 में पोषण पुनर्वास केन्द्र को क्रियाशील बनाये रखने एवं गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करने हेतु ऑपरेशनल कास्ट हेतु **FMR Code-A.2.5** पर औषधियों **(चिकित्सालय में नियमित रूप से उपलब्ध औषधियों इलाज के लिये उपलब्ध करायी जायेगीं तथा एन0आर0सी0 प्रोटोकाल के अनुसार यदि कोई औषधि उपलब्ध नहीं है तो नोडल अधिकारी की सलाह से आवश्यकतानुसार औषधि का क्रय किया जाये)** कन्स्यूमेबल, भर्ती बच्चे के लिये आहार, मॉ के लिये दैनिक भत्ता, कन्टीजेन्सी, उपकरणों के रखरखाव/मरम्मत आदि एवं बच्चे के फोलोअप आदि का वहन तालिका–1 में दिये गये मानक के अनुसार व्यय किया जायेगा। जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Budget for NRCs (2015-16) तालिका–1	
S. N.	**Item**
A	**Operational Cost** ***(COST OF TREATING 20 CHILDREN PER MONTH)***
1	Food for children @ Rs. 75 per child/day
2	Daily wage compensation for (food for mothers Rs. 100 per mother/day)
3	Contingency – Gas cylinder, Linen cleaning (Laundry) Phenyl, Soap, Mosquito repellent, Washing powder, etc @ Rs. 2000/month.
4	Maintenance of equipments (based on actual expenditure)and/or Purchase of new Weighing Scale/Infantometer or other ward equipments (only if non-functional or non-repairable and with the consent of the state) (Rs. 20000 for year)
5	Contingency for Miscellaneoues items like for documention (Printing of NRC documents-SAM chart, Discharge ticket, NRC register etc. photographs, photocopying, display board , Wall Painting, Internet connection, phone charges etc. Rs 12000 per year.
6	Medicine and micro nutrient will be used from available govt. supply and drugs which are not available can be purchased.
B	**Cost for each follow up visits (For 4 Follow-ups)**
1	Food for children @ Rs. 40 per child/Follow-up
2	Daily wage compensation for (food for mothers Rs. 100 per mother/day)

2) मानव संसाधन– पोषण पुनर्वास केन्द्र पर कार्यरत संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0, में कार्यरत एन0आर0सी0 के संविदा चिकित्सा अधिकरियों** के मानदेय हेतु **FMR Code A.8.1.5.6** पर प्रति इकाई 1 **चिकित्सा अधिकारी अनुसार 31 मार्च 2014** के पूर्व से कार्यरत 2 चिकित्सा अधिकारियों को रू0 41580/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु एवं 46 चिकित्सा अधिकारियों के रू0 39600/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0** के संविदा स्टॉफ नर्सो के मानदेय हेतु FMR Code-A.8.1.1.2.f पर **31 मार्च 2014** के पूर्व से कार्यरत 78 स्टाफ नर्सो को रू0 19060/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय **एवं** 108 स्टाफ नर्सो को रू0 18150/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0 के संविदा न्यूट्रिशनिस्ट 1 प्रति इकाई के अनुसार** मानदेय हेतु **FMR Code-A.8.1.7.5.4** पर **31 मार्च 2014** के पूर्व से कार्यरत 20 **न्यूट्रिशनिस्ट** को रू0 17325/– प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु **एवं** 28 **न्यूट्रिशनिस्ट** को रू0 16500/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0** के संविदा **कुक/रसोईया 1 प्रति इकाई के अनुसार** मानदेय हेतु **FMR Code- A.8.1.11.f** पर 48 **कुक/रसोईया** को रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0** के संविदा **केयर टेकर 1 प्रति इकाई के अनुसार** मानदेय हेतु **FMR Code- A.8.1.11.f** पर 48 **केयर टेकर** को रू0 6400/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0** के **सफाई कर्मियों के** मानदेय हेतु **FMR Code- A.8.1.11.f** पर **1 प्रति इकाई के अनुसार** 48 **सफाई कर्मियों** को रू0 6400/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

3) आशा/आंगनवाडी प्रतिपूर्ति राशि–

भारत सरकार द्वारा FMR Code-B1.1.3.2.5 पर SAM बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर संदर्भित करने तथा फालोअप में लाने पर आशा/आंगनवाडी को प्रतिपूर्ति राशि अनुमोदित की गयी है। जिसके अनुसार पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर SAM बच्चों को संदर्भित करने हेतु रू0 100/– प्रति बच्चे के अनुसार आशा/आंगनवाडी को दिया जाना है। तथा समस्त फालोअप हेतु कुल रू0 50/– प्रति बच्चे प्रदान किया जाना है। इस प्रकार कुल रू0 150/– प्रति बच्चे (संदर्भन एवं फालोअप) हेतु प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किया जाना है। पोषण पुनर्वास केन्द्रों की इकाईयों हेतु प्रतिमाह अधिकतम 20 बच्चों के अनुसार संलग्न तालिकानुसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद/मेडिकल कॉलेज/सी0एचसी0 को एन0आर0सी0 हेतु धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि **Revalidated** की गयी है तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, मॉग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि **Unspent** के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।

नोटः–

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
3. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जनपद के सम्बन्धित अधिकारी/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
4. प्रत्येक माह एन0आर0सी0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
5. **एन0आर0सी0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान व विभाग में कार्य करने के लिये न लगाया जाय। पर्यवेक्षण/फीडबैक में यदि इसकी पुनरावृत्ति पायी जाती है तो इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।**
6. सुनिश्चित करें कि संविदा कर्मी समय से ड्यूटी करें (यदि अन्य जनपद से आना जाना हो तो समय की पाबन्दी अवश्य सुनिश्चित की जाय) समय से न आने वालों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये तथा अभिलेख संविदाकर्मी की पत्रावली में प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखा जाये।
7. **भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 मे पोषण पुनर्वास केन्द्र के संविदा मानव संसाधन हेतु पुनर्रक्षित दर के अनुसार मानदेय स्वीकृत किया गया है अतः 1 अप्रैल 2015 से अब तक किये गए भुगतान पर नवीन मानदेय के अनुसार Arrears का भुगतान कर्मचारी के खाते में स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करे।**

8. वित्तीय वर्ष के दौरान पोषण पुनर्वास केन्द्र मे अगर कोई भी मानव संसाधन का पद रिक्त है और उसका पद स्वीकृत हो और मानदेय उपलब्ध हो तो उस मानव संसाधन की नियुक्ति नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से शीघ्र करे।

9. **जिला स्तरीय टीम प्रत्येक तीन माह के अन्तराल पर संयुक्त रूप से पोषण पुनर्वास केन्द्र एवं कार्यरत मानव संसाधन के कार्य का अनुश्रवण किया जायेगा एवं टीम द्वारा समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / नोडल अधिकारी–एन0आर0सी0 / विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया जायेगा जिला स्तरीय टीम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल अधिकारी–एन0आर0सी0 / विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक शामिल होंगें।**

10. इस कार्यालय के पत्र संख्या– एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / 2012–13 / लेखा / पी0एफ0 एम0एस0 / 187 / 96–2, दिनांक 08 / 04 / 2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

2– <u>मानव संसाधन एवं दायित्व :–</u>

कार्यक्रम संचालन हेतु पुर्नवास केन्द्र पर निम्न स्टाफ की आवश्यकता होगी ।

- चिकित्सा अधिकारी –1 (संविदा पर)
- न्यूट्रीशनिस्ट काउन्सलर –1 (संविदा पर)
- स्टाफ नर्स –4 (संविदा पर)
- रसोईया –1 (संविदा पर)
- केयर टेकर –1 (संविदा पर)
- सफाई कर्मी –1 (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)

3– <u>चिकित्सा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :–</u>

चिकित्सा अधिकारी द्वारा गम्भीर कुपोषित बच्चों का निदान एवं उपचार करना, दवा के बारे में स्टाफ नर्स, न्यूट्रीशनिस्ट व परिवार के सदस्यों को बताना। जॉच के उपरान्त लक्षणों के अनुसार न्यूट्रीशनिस्ट को आहार की मात्रा तय करने तथा सभी कर्मियों का आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करना। **जिला पुरूष चिकित्सालय / विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग मेडिकल कालेज / सी0एच0सी0 के नोडल अधिकारी–एन0आर0सी0 / अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ समन्वय रखना।** भर्ती बच्चों को सायंकालीन राउन्ड कर उनकी समुचित देखभाल करना, स्टाफनर्स को आवश्यक निर्देश देना, दवाइयों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, सेमचार्ट एवं एन0आर0सी0 रजिस्टर का नियमित अवलोकन करना माह के अन्त में प्रारूप पर मासिक रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी / महानिदेशक परिवार कल्याण एवं एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करना। प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित मासिक बैठक में पोषण पुनर्वास केन्द्र पर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के विषय में जानकारी देना, गम्भीर कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन को बढावा देने हेतु संलग्न–1 सामुदायिक स्तरीय संर्दभन कार्यप्रणाली का उपयोग किया जाय।

- भर्ती किये जाने वाले बच्चों के बारे में ब्लॉक स्तर पर आयोजित आशाओं तथा आंगनवाड़ी की बैठक में आशाओं को प्रशिक्षित करना तथा दिये जाने वाले इन्सेन्टिव की जानकारी देना। वाहन की व्यवस्था संयुक्त रूप से अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा डी0सी0पी0एम0 के साथ समन्वय कर भ्रमण की व्यवस्था की जा सकती है। उक्त के साथ एन0आर0सी0 में तैनात संविदा कर्मियों के दायित्व का पर्यवेक्षण करना तथा प्रशिक्षण देना।

4– **<u>न्यूट्रीशनिस्ट के कार्य एवं दायित्व :–</u>**

प्रत्येक बच्चे के वज़न और स्थिति के अनुसार प्रतिदिन आहार तय करना। रसोइया को आहार तैयार करने हेतु किस वस्तु को कितनी मात्रा में कब मिलाना है और कितना मिलाना है के विषय में निर्देशित करना होगा न्यूट्रीशनिस्ट को प्रातः 9:00 बजे से 5:00 बजे तक बच्चों की देखभाल करनी होगी।

- माताओं को पोषण पुर्नवास केन्द्र एवं घर पर पोषण आहार, बच्चे की देखभाल, स्वास्थ्य एवं साफ सफाई करने संबंधित विषयों पर प्रतिदिन परामर्श सत्र आयोजित कर सलाह देना।
- स्टाफ नर्स, रसोइया एवं केयर टेकर के साथ मिलकर सुनिश्चित करना कि वार्ड में भर्ती बच्चों को सभी आहार, सूक्ष्म पोषक तत्व, दवाइयों एवं टीकाकरण की सुविधा प्राप्त हो सके।

- पोषण पुर्नवास केन्द्र के रख रखाव एवं खाना बनाने के लिए आवश्यक समस्त सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- न्यट्रीशनिस्ट को सूक्ष्म पोषक तत्वों की मानकानुसार जानकारी होना चाहिये।
- चिकित्सक को प्रत्येक बच्चे की स्थिति जैसे वज़न में हुई बढ़ोतरी, कमी, लिया गया आहार एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना।
- हर दिन नियत समय पर (सुबह 10.00 बजे) प्रत्येक बच्चे का वज़न लेकर माँ को बतलाना, उसे परामर्श देना एवं सैम चार्ट में अंकित करना। पोषण पुर्नवास केन्द्र से संबंधित समस्त सामग्री का लेखा जोखा स्टाफ नर्स के साथ मिलकर रखना। बच्चे का, सैम चार्ट, एन0आर0सी0 रजिस्टर, डिस्र्चाज टिकिट, फोटो एल्बम का रख–रखाव एंव मासिक भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।
- वेब–बेस्ड एन0आर0सी0 एम0आई0एस0 डेटाइन्ट्री एवं रिपोर्टिगं का कार्य भी आपके द्वारा किया जायेगा।
- स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित बैठक में भाग लेकर पोषण पुनर्वास केन्द्र पर दी जा रही सेवाओं के बारे में प्रचार–प्रसार करना आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री को Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना तथा कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन के लिये प्रेरित करना।
- बच्चो की भर्ती की संख्या, दिन, दिनांक का ग्रामवार एवं आशावार/आंगनवाड़ी के अनुसार ब्यौरा रखा जाये तथा इसे DPO/CDPO को प्रभावी फॉलो–अप के लिए प्रत्येक माह अवगत कराया जाये।
- सप्ताह में 2 बार समय निकाल कर प्रसव पूर्व/प्रसव उपरान्त महिला वार्ड में स्तनपान को बढावा देने के विषय में माताओं को जानकारी देना, उससे होने वाले लाभ एवं कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना। कितने महिलाओं को इसकी जानकारी दी गयी है की तिथिवार पूर्ण जानकारी अपनी डायरी में अंकित करें।

5– स्टाफ नर्स के कार्य एवं दायित्व :–

- केन्द्र में भर्ती गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना। स्टाफ नर्स की डियूटी रोटेशन के अनुसार 8–8 घंटे की होगी।
- चिकित्सक के अनुसार हर बच्चे को दवाइयां देना एवं इंजेक्शन लगाना। चिकित्सक के द्वारा लिखे गए इलाज की हर खुराक की निगरानी करना एवं सैम चार्ट में अंकित करना।
- सुनिश्चित करना कि हर बच्चे को छूटे हुए टीकाकरण का लाभ मिल सके। (हर बच्चे का सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना)
- पोषण पुर्नवास केन्द्र में उपलब्ध दवाओं की उपलब्धता, उपयोग एवं खरीद सम्बन्धी सूची बनाना।
- बच्चे का सैम चार्ट, एन0आर0सी0 रजिस्टर, डिस्र्चाज टिकिट, फोटो एल्बम का रख–रखाव की स्टाफनर्स व न्यूट्रीशनिस्ट दोनों की जिम्मेदारी होगी।
- स्टाफ नर्स को मानकानुसार दवायों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी होना आवश्यक है एवं बच्चों को मानक के अनुसार दवायें देने के बारे में सेम चार्ट में अंकित किया जाये।
- चिकित्सक तथा न्यूट्रीशनिस्ट से परस्पर तालमेल रखकर बच्चे की देखभाल तथा आवश्यकता के अनुसार बच्चे को दवा देना, बच्चे की साफ–सफाई रखना, बिस्तर साफ रखना, वज़न लेना, यदि अन्य कोई संक्रमण या बीमारी है तो चिकित्सक से परामर्श कर दवा देना आदि स्टाफ नर्स की जिम्मेदारी है। कितने बच्चे भर्ती किये गये कितने डिस्चार्ज किये गये का रखरखाव भी स्टाफ नर्स की ही जिम्मेदारी है मां को बच्चे की देखभाल के बारे में बताना। चिकित्सक की अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल कर उसका हाल चिकित्सक को बताना जिससे सही इलाज हो सके।
- न्यूट्रीशनिस्ट की डियूटी समाप्त होने के उपरान्त डियूटी पर उपस्थिति स्टाफ नर्स द्वारा बच्चों को चिकित्सक/न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा निर्धारित की गयी डाईट के अनुरूप आहार तैयार कर, बच्चे को दिया जायेगा।
- डियूटी स्टॉफ नर्स, रसोईया की डियूटी के पश्चात चिकित्सक/न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा निर्धारित की गयी डाईट के अनुरूप आहार रसोईया से समन्वय कर बच्चे को प्रदान करेगी।
- भर्ती बच्चे के माता पिता को संन्तुलित आहार एवं पौष्टिक आहार के बारे में शिक्षित करना तथा बच्चों में कुपोषण से बचाव के बारे में समझाना।

- समय निकाल कर प्रसव पूर्व/प्रसव उपरान्त महिला वार्ड में स्तनपान को बढावा देने के विषय में माताओं को जानकारी देना, उससे होने वाले लाभ एवं कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना। कितने महिलाओं को इसकी जानकारी दी गयी है की तिथिवार पूर्ण जानकारी अपनी डायरी में अंकित करें।
- आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री को Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना तथा कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन के लिये प्रेरित करना।

6– रसोईया के कार्य एवं दायित्व :–

- न्यूट्रीशनिस्ट के निर्देशानुसार भोजन बनाना, केयर टेकर से सम्पर्क स्थापित कर समय से भोजन तैयार करना।
- रसोई की साफ सफाई सुनिश्चित करना। खाना पकाने एवं रसोई में भंडारण के लिए उपयोग किये जाने वाले बर्तनो को साफ करना।
- सुनिश्चित करना कि भोजन साफ सफाई से तैयार हो एवं बच्चे के लिए सुरक्षित भी हो। यह भी सुनिश्चित करना कि वार्ड में बच्चे को कोई भी अन्य खाद्य सामग्री न दी जाये।
- बच्चों की मांताओं को पोषक आहार बनाने की विधि प्रदर्शित करें ताकि छुटटी के उपरान्त मांतायें अपने घर में भी बच्चे को पोषित आहार दे सकें।
- रसोईया अपनी डूयूटी के पश्चात बच्चों को दिये जाने वाले आहार की व्यवस्था के बारे में डूयूटी स्टॉफ नर्स को सूचित करेगा।

7– केयर टेकर के कार्य एवं दायित्व :–

- वार्ड, स्नान गृह, रसोई एवं भोजन करने के स्थान की साफ सफाई सुनिश्चित करना। प्रत्येक बच्चे, उसके माता–पिता एवं अभिभावक की व्यक्तिगत साफ–सफाई सुनिश्चित करना।
- रसोइया को सभी बच्चों को आहार/भोजन वितरण करने में मदद करना।
- सुनिश्चित करना कि प्रत्येक मां अपने बच्चे को सभी भोजन खिलाएं एवं इसकी जानकारी आहार तालिका में नियमित रूप से दर्ज हो जाए।
- प्रत्येक बच्चे का मनो–सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हें खेलकूद में व्यस्त करना, उनसे बातचीत करना एवं उनकी माताओं को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- आवश्यकता अनुसार बच्चों को भोजन देने एवं उनके आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु माताओं को जानकारी देना।

8– सफाई कर्मी के कार्य एवं दायित्व :–

- एन0आर0सी0 वार्ड की रसोई, बच्चों के प्ले एरिया एवं शौचालय की नियमित साफ सफाई करेगें। सफाई कर्मी को सफाई की उपयोगिता के महत्व की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाय। कूड़े का निस्तारण करने हेतु मानकों के अनुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चत की जाय।
- सफाई कर्मी को वार्ड के मानकों के अनुसार कूड़ा निस्तारण के बारें में प्रशिक्षित किया जाय प्रशिक्षित कर्मी वार्ड में भर्ती मरीजों के माता पिता को सफाई एवं संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी देना एवं जागरूक करना।

9– गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की भर्ती के मानक (निम्न में से कोई एक मानक)–

बच्चों के भर्ती के मानक	
6 माह से 59 माह	1–बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न– (–3) एस0डी0 से कम
	2–बच्चे की मिड अपर आर्म का माप– 11.5 से0मी0 से कम
	3–बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा।
6 माह से कम उम्र के बच्चों	1–बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न– (–3) एस0डी0 से कम (45 सेन्टी मीटर से अधिक के लिये) 2–बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा। 3–देखने में अति गंभीर कुपोषित (45 सेन्टीमीटर से कम के लिये)

गंभीर कुपोषित बच्चों में कभी कभी अन्य जटिलताये हो सकती है उन्हें प्राथमिकता के अनुसार उपचार हेतु भर्ती किया जाय।

नोटः–

1. सामान्यतः कुपोषित बच्चों को 10–15 दिन तक भर्ती रखा जायेगा परन्तु यदि बच्चे में मानक के अनुसार सुधार नहीं हुआ है अथवा कोई अन्य जटिलता है तो बच्चे को चिकित्सक की सलाह से 4 सप्ताह तक भर्ती रखा जा सकता है ऐसे बच्चों की केस सीट आडिट हेतु सुरक्षित रखी जाय। जो बच्चे दो सप्ताह के उपरान्त भी केंद्र मे भर्ती रहेंगे उनको यथावत धनराशी देय होगी।
2. आंगनवाड़ी द्वारा नये डब्लू0एच0ओ0 ग्रोथ चार्ट द्वारा चिन्हित गंभीर अल्प वज़न वाले बच्चों में से केवल उन्हीं बच्चों की भर्ती की जायेगी जिनका ''मिड अपर आर्म सर्कमफियरेन्स' (MUAC) 11.5 से.मी. से कम होगा एवं पैरों में पिटिंग सूजन होगी।
3. चिन्हित बच्चों में से ए0एन0एम0/आशा/ऑगनवाड़ी बच्चे को भर्ती कराने से पहले (MUAC) 11.5 से.मी. से कम एवं पैरों में पिटिंग सूजन की जॉच कर लेने की जानकारी अवश्य दी जाय।

10– बच्चों के छुट्टी के मानकः–

- वज़न में 15 प्रतिशत की वृद्धि।
- 5 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति दिन की वृद्धि लगातार 3 दिन।
- बच्चे की भूख वापस आना।
- शरीर पर सूजन न होना,
- बच्चे के अन्य बीमारी के लक्षण के उपचार हो जाने पर।

11– कुपोषित बच्चों के उपचार के उपरान्त फॉलोअप :–

- पोषण पुनर्वास केन्द्र के उपचार के उपरान्त 2 माह में 4 बार फॉलोअप 15 दिन के अन्तराल पर किया जाना है। छुट्टी के समय डिस्चार्ज टिकट पर फॉलोअप की दिनांक अंकित की जाय तथा मां को इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय।
- किसी भी फॉलोअप के दौरान अगर बच्चे का weight-for-height/length **SD score**-1SD अथवा **MUAC** 12.5 cm या उससे अधिक हो तो बच्चे को आगामी फॉलोअप विजिट से छूट दी जा सकती है।
- सप्ताह में बच्चों के फॉलोअप के लिये 2 दिन निश्चित किये जाये तथा छुट्टी के समय मां को इन दिनों की जानकारी लिखित एवं मौखिक रूप से दी जाय।

12– रिपोर्ट का प्रेषणः–

पत्र के साथ मासिक एवं त्रैमासिक भौतिक प्रगति के प्रेषण हेतु प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। प्रत्येक माह भौतिक प्रगति रिपोर्ट आगमी माह की 7 तारीख तक मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक के कार्यालय को भेजी जाय। बच्चे की विस्तृत कम्प्यूटराइज्ड रिपोर्ट भी प्रत्येक माह तैयार की जाय। रिपोर्ट, तैयार करने की जिम्मेदारी न्यूट्रीशनिस्ट एवं स्टाफ नर्स की होगी। रिपोर्ट, मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक के कार्यालय को भेजने की जिम्मेदारी चिकित्सक की होगी।

कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

पोषण पुर्नवास केन्द्र पर अति कुपोषित बच्चे की भर्ती के मानक तथा छुट्टी के मानक एवं दी जाने वाल सुविधाओं की जानकारी (**प्रोटो टाइप संलग्न**) व पारिदर्शिता के लिये 2 फीट चौड़ी व 3 फीट लम्बाई के अलग अलग फ्लैक्स बैनर बनवा कर लगवाये जाये अथवा वाल पेन्टिंग पोषण पुनर्वास केन्द्र के बाहर एवं अन्दर कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। अति कुपोषित बच्चे की भर्ती के मानक तथा छुट्टी के मानकों को आंगनवाड़ी/आशाओं को बताया जाये। पोषण पुर्नवास केन्द्र की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकरी द्वारा समय समय पर केन्द्र का अनुश्रवण करेंगे। परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा भी औचक निरीक्षण किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

16/10/15

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/NRC / 18–4 / 2015–16 / दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव**, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. **सम्बन्धित मण्डलायुक्त,** उत्तर प्रदेश।
4. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा एन0आर0सी0 की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
5. **महानिदेशक,** राज्य पोषण मिशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
6. **महानिदेशक, चिकित्सा** शिक्षा, जवाहर भवन लखनऊ।
7. **निदेशक,** आई0सी0डी0एस0, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. **सम्बन्धित जिलाधिकारी** / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति।
9. **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
10. **संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
11. **कुलपति,** अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
12. **प्रधानाचार्य,** एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद / जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर / बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर / आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झाँसी।
13. **विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग,** एन0आर0सी0 कोऑर्डिनेटर, जे0एन0 मेडीकल कॉलेज अलीगढ, एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर, बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झाँसी को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
14. **सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,** जिला पुरूष चिकित्सालय को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
15. **प्रभारी / चिकित्सा अधीक्षक**, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, तालबेहट, मेहरौनी, मढावरा, बिरघा, बार, जखोरा को इस आश्य के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
16. **सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय** कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि वे जिला परियोजना अधिकारी एवं जनपद के उल्लेखित पृष्ठांकित अधिकारियों को एक प्रति उपलब्ध करा दें।
17. **न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट**, यूनिसेफ, बी–3 / 258, विशालखन्ड, गोमतीनगर, उ0प्र0 लखनऊ।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

क्र0सं0	पोषण पुनर्वास केन्द्र पर दी जाने वाली सुविधाये।
1	पोषण पुनर्वास केन्द्र पर भर्ती योग्य बच्चे को निशुल्क भर्ती किया जाता है।
2	बच्चे के खाने की व्यवस्था चिकित्सक की सलाह के अनुसार दी जाती है जो निशुल्क है।
3	बच्चे को दी जाने वाली आवश्यक दवायें निशुल्क है।
4	भर्ती के दौरान बच्चे की मॉ को रू0 100 प्रति दिन के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाता है।
5	आशा/ऑगनवाड़ी यदि भर्ती होने योग्य बच्चे को साथ लाती है तो आशा/ऑगनवाड़ी को रू0 100 प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है। आशा/–ऑगनवाड़ी द्वारा डिस्चार्ज के पश्चात बच्चे के 4 फालोअप कराने पर अतिरिक्त रू0 50/– प्रति बच्चा दिया जायेगा।
6	बच्चे को चिकित्सक की सलाह के अनुसार फोलोअप के लिये बताये गये समय पर कम से कम 3 बार दिखाना चाहिये।
7	बच्चे को फोलोअप के लिये लाने पर मॉ को एक दिन का दैनिक भत्ता रू0 100 एवं प्रति बच्चे को खाने के लिए अतिरिक्त रू 40/– प्रति बच्चे दिया जायेगा।
8	चिकित्सक की सलाह के बिना बच्चे को घर ले जाने पर कोई धनराशि देय नहीं है।
9	किसी शिकायत के लिये चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से सम्पर्क करें अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 180 1900 पर अपनी शिकायत दर्ज करायें।

<u>नोट</u>– ऊपर दी गयी तालिका को जन समुदाय की जानकारी व पारदर्शिता के लिये 2 फीट चौडे व 3 फीट लम्बे फ्लैक्स बैनर बनवाकर 1 पोषण पुनर्वास केन्द्र के बाहर तथा 1 केन्द्र के अन्दर लगवाना सुनिश्चित किया जाय अथवा वाल पेन्टिंग करायी जाय।

District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2015-16 — Part - A

S.N	Name of Districts	Name of Unit	Operational cost		Medical officer				Nutitionist/ FD				Total funds to be released to DHS (Amount in Rs)
			Operational Cost funds relesed (Apl. 15 to Sep. 15)	Operational Cost funds relesed (Oct. 15 to Mar. 16)	Old, MO @41580 per Month	New, Mo@39600 Per Month	Honorarium (Apl. 15 to Sep. 15) for 6 month	Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16) for 6 month	Old, Nutrist. @17325 per Month	New, Nutrist. @16500 per Month	Honorarium (Apl. 15 to Sep. 15) for 6 month	Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16) for 6 month	
	FMR Code		A.2.5		A.8.1.5.6				A.8.1.7.5.4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Aligarh	Aligarh Medi. Coll.	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
2	Allahabad	Allahabad, Medi. Coll.	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
3	Gorakhpur	Gorakhpur, Medi. Coll.	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
4	Jhansi	Jhansi Medi. Coll.	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
5	Kanpur	Kanpur Medi. Coll.	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
6	Agra	Agra	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
7	Azamgarh	Azamgarh	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
8	Badaun	Badaun	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
9	Bagpat	Bagpat	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
10	Bahraich	Bahraich	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
11	Balrampur	Balrampur	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
12	Banda	Banda	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
13	Barabanki	Barabanki	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
14	Bareilly	Bareilly	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
15	Bijnor	Bijnor	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
16	Chitrakoot	Chitrakoot	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
17	Deoria	Deoria	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
18	Etah	Etah	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600

1

District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2015-16 — Part - A

S.N	Name of Districts	Name of Unit	Operational cost: Operational Cost funds relesed (Apl. 15 to Sep. 15)	Operational cost: Operational Cost funds relesed (Oct. 15 to Mar. 16)	Medical officer: Old, MO @41580 per Month	Medical officer: New, Mo@39600 Per Month	Medical officer: Honorarium (Apl. 15 to Sep. 15) for 6 month	Medical officer: Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16) for 6 month	Nutitionist/ FD: Old, Nutrist. @17325 per Month	Nutitionist/ FD: New, Nutrist. @16500 per Month	Nutitionist/ FD: Honorarium (Apl. 15 to Sep. 15) for 6 month	Nutitionist/ FD: Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16) for 6 month	Total funds to be released to DHS (Amount in Rs)
	FMR Code		A.2.5		A.8.1.5.6				A.8.1.7.5.4				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
19	Etawah	Etawah	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
20	Farrukhabad	Farrukhabad	390000	390000	1	0	237600	261360	1	0	99000	108900	760260
21	Faizabad	Faizabad	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
22	Gonda	Gonda	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
23	Hardoi	Hardoi	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
24	Kannauj	Kannauj	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
25	Kaushambi	Kaushambi	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
26	Lakhimpur Kheri	Lakhimpur Kheri	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
27	Maharajganj	Maharajganj	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
28	Mirzapur	Mirzapur	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
29	Pilibhit	Pilibhit	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
30	Pratapgarh	Pratapgarh	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
31	Raebareli	Raebareli	390000	390000	1	0	237600	261360	0	1	99000	99000	750360
32	Rampur	Rampur	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
33	Sant Kabir Nagar	Sant Kabir Nagar	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
34	Shahjahanpur	Shahjahanpur	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
35	Shrawasti	Shrawasti	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
36	Sitapur	Sitapur	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600

②

District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2015-16									Part - A				
S.N	Name of Districts	Name of Unit	Operational cost		Medical officer				Nutitionist/ FD				Total funds to be released to DHS (Amount in Rs)
			Operational Cost funds relesed (Apl. 15 to Sep. 15)	Operational Cost funds relesed (Oct. 15 to Mar. 16)	Old, MO @41580 per Month	New, Mo@39600 Per Month	Honorarium (Apl. 15 to Sep. 15) for 6 month	Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16) for 6 month	Old, Nutrist. @17325 per Month	New, Nutrist. @16500 per Month	Honorarium (Apl. 15 to Sep. 15) for 6 month	Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16) for 6 month	
	FMR Code		A.2.5		A.8.1.5.6				A.8.1.7.5.4				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
37	Sidharth Nagar	Sidharth Nagar	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
38	Sonbhadra	Sonbhadra	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
39	Unnnao	Unnnao	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
40	Varanasi	Varanasi	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
41	Lalitpur	Lalitpur DH	390000	390000	0	1	237600	237600	0	1	99000	99000	726600
		Baar CHC	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
		Birdha CHC	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
		Mehrauni CHC	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
		Madawara CHC	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
		Jakhora CHC	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
		Talbhet CHC	390000	390000	0	1	237600	237600	1	0	99000	108900	736500
42	Kasganj	Kasganj	0	390000	0	1	0	237600	0	1	0	99000	726600
Sub total -A			18330000	18720000	2	46	11167200	11452320	20	28	4653000	4950000	35122320
Rs. In Lacs			183.30	187.20	48		111.67	114.52	48		46.53	49.50	351.22

(3)

District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2015-16 Part - B

S.N	Name of Districts	Name of Unit	Staff Nurse: Old, SNs @19060 per Month	Staff Nurse: New, SNs @16500 per Month	Staff Nurse: Honorarium (Apl. 15 to Sep. 15) for 6 month	Staff Nurse: Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16) for 6 month	Cook: Cook @ 7500/p.m.	Cook: Honorarium for 12 month	Cook: Honorarium (Apl. 15 to Sep. 15) for 6 month	Cook: Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16) for 6 month	Caretaker: Caretaker @ 6400/p.m.	Caretaker: Honorarium (Apl. 15 to Sep. 15) for 6 month	Caretaker: Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16) for 6 month	Cleaner: Cleaner @ 6400/p.m.	Cleaner: Honorarium (Apl. 15 to Sep. 15) for 6 month	Cleaner: Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16) for 6 month	Total Fund Adjustment for 6 Months (Col No-4+8+12+19+23+26+29)	Total Funds released to DHS (Col No-5+9+13+20+24+27+30)
	FMR Code		A.8.1.1.2.f				A.8.1.11.f				A.8.1.11.f			A.8.1.11.f				
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Aligarh	Aligarh M.C.	3	1	435600	468360	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	590160
2	Allahabad	Allahabad, M.C.	4	0	435600	479280	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	601080
3	Gorakhpur	Gorakhpur, M.C.	4	0	435600	479280	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	601080
4	Jhansi	Jhansi M.C.	3	1	435600	468360	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	590160
5	Kanpur	Kanpur M.C.	2	2	435600	457440	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	579240
6	Agra	Agra	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
7	Azamgarh	Azamgarh	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
8	Badaun	Badaun	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
9	Bagpat	Bagpat	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
10	Bahraich	Bahraich	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
11	Balrampur	Balrampur	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
12	Banda	Banda	4	0	435600	479280	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	601080
13	Barabanki	Barabanki	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
14	Bareilly	Bareilly	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
15	Bijnor	Bijnor	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
16	Chitrakoot	Chitrakoot	3	1	435600	468360	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	590160
17	Deoria	Deoria	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
18	Etah	Etah	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400

District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2015-16 Part - B

S.N	Name of Districts	Name of Unit	Staff Nurse				Cook				Caretaker			Cleaner			Total Fund Adjustment for 6 Months (Col No-4+8+12+19+23+26+29)	Total Funds released to DHS (Col No-5+9+13+20+24+27+30)
			Old, SNs @19060 per Month	New, SNs @16500 per Month	Honorarium (Apl. 15 to Sep. 15) for 6 month	Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16) for 6 month	Cook @ 7500/p.m.	Honorarium for 12 month	Honorarium (Apl. 15 to Sep. 15) for 6 month	Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16) for 6 month	Caretaker @ 6400/p.m.	Honorarium (Apl. 15 to Sep. 15) for 6 month	Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16) for 6 month	Cleaner @ 6400/p.m.	Honorarium (Apl. 15 to Sep. 15) for 6 month	Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16) for 6 month		
	FMR Code		A.8.1.1.2.f				A.8.1.11.f				A.8.1.11.f			A.8.1.11.f				
19	Etawah	Etawah	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
20	Farrukhabad	Farrukhabad	2	2	435600	457440	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	579240
21	Faizabad	Faizabad	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
22	Gonda	Gonda	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
23	Hardoi	Hardoi	4	0	435600	479280	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	601080
24	Kannauj	Kannauj	4	0	435600	479280	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	601080
25	Kaushambi	Kaushambi	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
26	L. Kheri	Lakhimpur Kheri	4	0	435600	479280	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	601080
27	Maharajganj	Maharajganj	3	1	435600	468360	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	590160
28	Mirzapur	Mirzapur	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
29	Pilibhit	Pilibhit	3	1	435600	468360	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	590160
30	Pratapgarh	Pratapgarh	4	0	435600	479280	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	601080
31	Raebareli	Raebareli	3	1	435600	468360	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	590160
32	Rampur	Rampur	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
33	Sant Kabir Nagar	Sant Kabir Nagar	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
34	Shahjahanpur	Shahjahanpur	4	0	435600	479280	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	601080
35	Shrawasti	Shrawasti	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
36	Sitapur	Sitapur	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400

5

District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2015-16 Part - B

S.N	Name of Districts	Name of Unit	Staff Nurse: Old, SNs @19060 per Month	Staff Nurse: New, SNs @16500 per Month	Staff Nurse: Honorarium (Apl. 15 to Sep. 15) for 6 month	Staff Nurse: Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16) for 6 month	Cook: Cook @ 7500/p.m.	Cook: Honorarium for 12 month	Cook: Honorarium (Apl. 15 to Sep. 15) for 6 month	Cook: Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16) for 6 month	Caretaker: Caretaker @ 6400/p.m.	Caretaker: Honorarium (Apl. 15 to Sep. 15) for 6 month	Caretaker: Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16) for 6 month	Cleaner: Cleaner @ 6400/p.m.	Cleaner: Honorarium (Apl. 15 to Sep. 15) for 6 month	Cleaner: Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16) for 6 month	Total Fund Adjustment for 6 Months (Col No-4+8+12+19+23+26+29)	Total Funds released to DHS (Col No-5+9+13+20+24+27+30)
	FMR Code		A.8.1.1.2.f				A.8.1.11.f				A.8.1.11.f			A.8.1.11.f				
37	Sidharth Nagar	Sidharth Nagar	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
38	Sonbhadra	Sonbhadra	4	0	435600	479280	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	601080
39	Unnnao	Unnnao	4	0	435600	479280	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	601080
40	Varanasi	Varanasi	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
41	Lalitpur	Lalitpur DH	0	4	435600	435600	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	557400
		Baar CHC	3	0	435600	250560	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	372360
		Birdha CHC	3	0	435600	250560	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	372360
		Mehrauni CHC	3	0	435600	250560	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	372360
		Madawara CHC	2	1	435600	239640	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	361440
		Jakhora CHC	2	1	435600	239640	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	361440
		Talbhet CHC	3	0	435600	250560	1	90000	45000	45000	1	38400	38400	1	38400	38400	1284000	372360
42	Kasganj	Kasganj	0	4	0	435600	1	90000	0	45000	1	0	38400	1	0	38400	0	557400
Sub total -A			78	108	20473200	20453760	48	4320000	2115000	2160000	48	1804800	1843200	48	1804800	1843200	60348000	26300160
Rs. In Lacs			186		204.73	204.54	48	43.20	21.15	21.60	48	18.05	18.43	48	18.05	18.43	603.48	263.00

6

Incentive for Referral & Follow up of discharge SAM Children from NRCs									
S.N.	Name of district	Name of Unit	no. of NRC	Funds for No. of months	Cases per month/ NRC	No of Cases per year/ per NRC	Unit Cost per Child (100+50)	Funds approved in RoP 2015-16 under FMR code B1.1.3.2.5 Col. (6*7=8)	Total funds to be transferred to disticts under
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	FMR code B1.1.3.2.5								
1	Jhansi	Jhansi	1	12	20	240	150	36000	36000
2	Gorakhpur	Gorakhpur	1	12	20	240	150	36000	36000
3	Aligarh	Aligarh	1	12	20	240	150	36000	36000
4	Kanpur Nagar	Kanpur Nagar	1	12	20	240	150	36000	36000
5	Allahabad	Allahabad	1	12	20	240	150	36000	36000
6	Pilibhit	Pilibhit	1	12	20	240	150	36000	36000
7	Shahjahanpur	Shahjahanpur	1	12	20	240	150	36000	36000
8	Hardoi	Hardoi	1	12	20	240	150	36000	36000
9	Raebareli	Raebareli	1	12	20	240	150	36000	36000
10	Unnao	Unnao	1	12	20	240	150	36000	36000
11	Maharajganj	Maharajganj	1	12	20	240	150	36000	36000
12	Farrukhabad	Farrukhabad	1	12	20	240	150	36000	36000
13	Kannauj	Kannauj	1	12	20	240	150	36000	36000
14	Banda	Banda	1	12	20	240	150	36000	36000
15	ChitraKoot	ChitraKoot	1	12	20	240	150	36000	36000
16	Pratapgarh	Pratapgarh	1	12	20	240	150	36000	36000
17	Sonbhadra	Sonbhadra	1	12	20	240	150	36000	36000
18	Lalitpur	Lalitpur	1	12	20	240	150	36000	36000
		Birdha	1	12	12	144	150	21600	21600
		Madawara	1	12	12	144	150	21600	21600
		Talbehat	1	12	12	144	150	21600	21600
		Mehrauni	1	12	12	144	150	21600	21600
		Bar	1	12	12	144	150	21600	21600
		Jakohra	1	12	12	144	150	21600	21600
19	Kheri	Kheri	1	12	20	240	150	36000	36000
20	Gonda	Gonda	1	12	20	240	150	36000	36000
21	Shrawasti	Shrawasti	1	12	20	240	150	36000	36000
22	Faizabad	Faizabad	1	12	20	240	150	36000	36000
23	Varanasi	Varanasi	1	12	20	240	150	36000	36000
24	Siddharth Nagar	Siddharth Nagar	1	12	20	240	150	36000	36000
25	Bagpat	Bagpat	1	12	20	240	150	36000	36000
26	Kasganj	Kasganj	1	12	20	240	150	36000	36000
27	Bahraich	Bahraich	1	12	20	240	150	36000	36000
28	Balrampur	Balrampur	1	12	20	240	150	36000	36000
29	Barabanki	Barabanki	1	12	20	240	150	36000	36000
30	Bareilly	Bareilly	1	12	20	240	150	36000	36000

S.N.	Name of district	Name of Unit	no. of NRC	Funds for No. of months	Cases per month/ NRC	No of Cases per year/ per NRC	Unit Cost per Child (100+50)	Funds approved in RoP 2015-16 under FMR code B1.1.3.2.5 Col. (6*7=8)	Total funds to be transferred to disticts under
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	FMR code B1.1.3.2.5								
31	Badaun	Badaun	1	12	20	240	150	36000	36000
32	Etah	Etah	1	12	20	240	150	36000	36000
33	Kaushambi	Kaushambi	1	12	20	240	150	36000	36000
34	Mirzapur	Mirzapur	1	12	20	240	150	36000	36000
35	Rampur	Rampur	1	12	20	240	150	36000	36000
36	Bijnor	Bijnor	1	12	20	240	150	36000	36000
37	Sant Kabir Nagar	Sant Kabir Nagar	1	12	20	240	150	36000	36000
38	Sitapur	Sitapur	1	12	20	240	150	36000	36000
39	Agra	Agra	1	12	20	240	150	36000	36000
40	Azamgarh	Azamgarh	1	12	20	240	150	36000	36000
41	Etawah	Etawah	1	12	20	240	150	36000	36000
42	Deoria	Deoria	1	12	20	240	150	36000	36000
43	J.P Nagar	J.P Nagar	1	9	20	180	150	27000	27000
44	Meerut	Meerut	1	9	20	180	150	27000	27000
45	Moradabad	Moradabad	1	9	20	180	150	27000	27000
46	Lucknow	Lucknow	1	9	20	180	150	27000	27000
47	Mahoba	Mahoba	1	9	20	180	150	27000	27000
48	Mainpuri	Mainpuri	1	9	20	180	150	27000	27000
49	Mathura	Mathura	1	9	20	180	150	27000	27000
50	Muzzafarnagar	Muzzafarnagar	1	9	20	180	150	27000	27000
51	Sultanpur	Sultanpur	1	9	20	180	150	27000	27000
52	Bhadohi	Bhadohi	1	9	20	180	150	27000	27000
53	Ambedkarnagar	Ambedkarnagar	1	6	20	120	150	18000	18000
54	Balia	Balia	1	6	20	120	150	18000	18000
55	Basti	Basti	1	6	20	120	150	18000	18000
56	Bulandshahar	Bulandshahar	1	6	20	120	150	18000	18000
57	Chandauli	Chandauli	1	6	20	120	150	18000	18000
58	Fatehpur	Fatehpur	1	6	20	120	150	18000	18000
59	Ferozabad	Ferozabad	1	6	20	120	150	18000	18000
60	G. B.Nagar	G. B.Nagar	1	6	20	120	150	18000	18000
61	Ghaziabad	Ghaziabad	1	6	20	120	150	18000	18000
62	Ghazipur	Ghazipur	1	6	20	120	150	18000	18000
63	Hamirpur	Hamirpur	1	6	20	120	150	18000	18000
64	Hathras	Hathras	1	6	20	120	150	18000	18000
65	Jalaun	Jalaun	1	6	20	120	150	18000	18000
66	Jaunpur	Jaunpur	1	6	20	120	150	18000	18000
67	Kanpur Dehat	Kanpur Dehat	1	6	20	120	150	18000	18000
68	Kushinagar	Kushinagar	1	6	20	120	150	18000	18000
69	Mau	Mau	1	6	20	120	150	18000	18000
70	Saharanpur	Saharanpur	1	6	20	120	150	18000	18000
Total			76					**2235600**	**2235600**

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–अलीगढ़, इलाहाबाद, गोरखपुर, झॉसी, कानपुर नगर, आगरा, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराईच, बलरामपुर, बांदा, बाराबकीं, बरेली, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फरूर्खाबाद, फैजाबाद, गोण्डा, हरदोई, कन्नौज, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, महारागंज, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संतकबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, उन्नाव, वाराणसी, ललितपुर एवं कासगंज।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/NRC / 18–4 / 2015–16 / दिनांक 23/10/15

विषय– जनपद / मेडिकल कालेज / सी0एच0सी0, स्तर पर "पोषण पुनर्वास केन्द्रों" (NRCs) के संचालन हेतु दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में कुपोषण एक गंभीर समस्या है तथा एन0एफ0एच0एस0–।।। के अनुसार 3 वर्ष से कम उम्र के 42 प्रतिशत बच्चों का वज़न अपनी उम्र के हिसाब से कम है और लगभग 7 प्रतिशत बच्चे अति गंभीर रूप से कुपोषित है अर्थात इनका वज़न ऊँचाई के अनुपात में बहुत कम है। कुपोषित बच्चों में मृत्यु की सम्भावना 9 गुना अधिक होती है। कुपोषण की रोक थाम एवं उपचार के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के लिये **"पोषण पुनर्वास केन्द्र"** के संचालन हेतु मानव संसाधन के मानदेय एवं आपरेशनल कास्ट हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है इसके उपयोग के सम्बन्ध में दिशानिर्देश निम्नवत है। भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि के दृष्टिगत दिशानिर्देश जारी किये जा रहें है।

उद्देश्यः–

- 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों की उचित देखभाल जिससे कि कुपोषण से होने वाले शिशु एवं बाल मृत्युदर में वांछित कमी लाई जा सके।
- अति कुपोषित बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- बच्चे की खान–पान तथा उचित देखभाल में माताओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता को विकसित करना।
- समुदाय को पोषण सम्बन्धी समस्याओं व समाधान के प्रति जागरूक करना।

पोषण पुर्नवास केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली सेवायेः–

1. भर्ती किये गये कुपोषित बच्चों की चौबीस घन्टे उचित देखभाल।
2. आवश्यक जांच बीमारी एवं जटिलताओं का मानक प्रोटोकाल के अनुरूप चिकित्सकीय उपचार।
3. उपचारात्मक आहार की व्यवस्था।
4. माँ एवं देखभाल करने वाले को उचित खान–पान, साफ सफाई के विषय पर परामर्श देना।
5. माताओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों से कम लागत की पोषण विधियों पर प्रशिक्षित करना।
6. पोषण पुनर्वास केन्द्र में डिस्चार्ज के बाद हर 15 दिन में 2 माह तक 4 बार फॉलोअप करना।

1– वित्त पोषण

"पोषण पुनर्वास केन्द्रों" (NRCs) के संचालन एवं क्रियाशीलता बनाये रखने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/NRC / 18–4 / 2015–16 / 2465–39 दिनांक 13.07.2015 के माध्यम से संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को दिनांक 10.07.2015 को अवमुक्त की जा चुकी है।

एवं पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2015–16/3098–50, दिनांक 10.08.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त पत्र के माध्यम से 6 माह की आपरेशनल कास्ट एवं संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को दिनांक 05.08.2015 को अवमुक्त की जा चुकी है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाय।

1) ऑपरेशनल कास्ट–

- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये आर0ओ0पी0 में पोषण पुनर्वास केन्द्र को क्रियाशील बनाये रखने एवं गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करने हेतु ऑपरेशनल कास्ट हेतु **FMR Code-A.2.5** पर औषधियों **(चिकित्सालय में नियमित रूप से उपलब्ध औषधियों इलाज के लिये उपलब्ध करायी जायेगीं तथा एन0आर0सी0 प्रोटोकाल के अनुसार यादि कोई औषधि उपलब्ध नहीं है तो नोडल अधिकारी की सलाह से आवश्यकतानुसार औषधि का क्रय किया जाये)** कन्स्यूमेबल, भर्ती बच्चे के लिये आहार, माँ के लिये दैनिक भत्ता, कन्टीजेन्सी, उपकरणों के रखरखाव/मरम्मत आदि एवं बच्चे के फोलोअप आदि का वहन तालिका–1 में दिये गये मानक के अनुसार व्यय किया जायेगा। जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Budget for NRCs (2015-16)	**तालिका–1**
S. N.	**Item**
A	**Operational Cost *(COST OF TREATING 20 CHILDREN PER MONTH)***
1	Food for children @ Rs. 75 per child/day
2	Daily wage compensation for (food for mothers Rs. 100 per mother/day)
3	Contingency – Gas cylinder, Linen cleaning (Laundry) Phenyl, Soap, Mosquito repellent, Washing powder, etc @ Rs. 2000/month.
4	Maintenance of equipments (based on actual expenditure)and/or Purchase of new Weighing Scale/Infantometer or other ward equipments (only if non-functional or non-repairable and with the consent of the state) (Rs. 20000 for year)
5	Contingency for Miscellaneoues items like for documention (Printing of NRC documents-SAM chart, Discharge ticket, NRC register etc. photographs, photocopying, display board , Wall Painting, Internet connection, phone charges etc. Rs 12000 per year.
6	Medicine and micro nutrient will be used from available govt. supply and drugs which are not available can be purchased.
B	**Cost for each follow up visits (For 4 Follow-ups)**
1	Food for children @ Rs. 40 per child/Follow-up
2	Daily wage compensation for (food for mothers Rs. 100 per mother/day)

2) **मानव संसाधन– पोषण पुनर्वास केन्द्र पर कार्यरत संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।**

- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0, में कार्यरत एन0आर0सी0 के संविदा चिकित्सा अधिकरियों** के मानदेय हेतु **FMR Code A.8.1.5.6** पर प्रति इकाई 1 **चिकित्सा अधिकारी अनुसार 31 मार्च 2014** के पूर्व से कार्यरत 2 चिकित्सा अधिकारियों को रू0 41580/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु एवं 46 चिकित्सा अधिकारियों के रू0 39600/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0** के संविदा स्टॉफ नर्सों के मानदेय हेतु FMR Code-A.8.1.1.2.f पर **31 मार्च 2014** के पूर्व से कार्यरत 78 स्टाफ नर्सों को रू0 19060/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय **एवं** 108 स्टाफ नर्सों को रू0 18150/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0 के संविदा न्यूट्रिशनिस्ट 1 प्रति इकाई के अनुसार** मानदेय हेतु **FMR Code-A.8.1.7.5.4** पर **31 मार्च 2014** के पूर्व से कार्यरत 20 **न्यूट्रिशनिस्ट** को रू0 17325/– प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु **एवं** 28 **न्यूट्रिशनिस्ट** को रू0 16500/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0** के संविदा **कुक/रसोईया 1 प्रति इकाई के अनुसार** मानदेय हेतु **FMR Code- A.8.1.11.f** पर 48 **कुक/रसोईया** को रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0** के संविदा **केयर टेकर 1 प्रति इकाई के अनुसार** मानदेय हेतु **FMR Code- A.8.1.11.f** पर 48 **केयर टेकर** को रू0 6400/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0** के **सफाई कर्मियों के** मानदेय हेतु **FMR Code- A.8.1.11.f** पर **1 प्रति इकाई के अनुसार** 48 **सफाई कर्मियों** को रू0 6400/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

3) आशा/आंगनवाडी प्रतिपूर्ति राशि–

भारत सरकार द्वारा FMR Code-B1.1.3.2.5 पर SAM बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर संदर्भित करने तथा फालोअप में लाने पर आशा/आंगनवाडी को प्रतिपूर्ति राशि अनुमोदित की गयी है। जिसके अनुसार पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर SAM बच्चों को संदर्भित करने हेतु रू0 100/– प्रति बच्चे के अनुसार आशा/आंगनवाडी को दिया जाना है। तथा समस्त फालोअप हेतु कुल रू0 50/– प्रति बच्चे प्रदान किया जाना है। इस प्रकार कुल रू0 150/– प्रति बच्चे (संदर्भन एवं फालोअप) हेतु प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किया जाना है। पोषण पुनर्वास केन्द्रों की इकाईयों हेतु प्रतिमाह अधिकतम 20 बच्चों के अनुसार संलग्न तालिकानुसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद/मेडिकल कॉलेज/सी0एचसी0 को एन0आर0सी0 हेतु धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि **Revalidated** की गयी है तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, मॉग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि **Unspent** के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।

नोटः–

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
3. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जनपद के सम्बन्धित अधिकारी/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
4. प्रत्येक माह एन0आर0सी0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
5. **एन0आर0सी0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान व विभाग में कार्य करने के लिये न लगाया जाय। पर्यवेक्षण/फीडबैक में यदि इसकी पुनरावृत्ति पायी जाती है तो इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।**
6. सुनिश्चित करें कि संविदा कर्मी समय से ड्यूटी करें (यदि अन्य जनपद से आना जाना हो तो समय की पाबन्दी अवश्य सुनिश्चित की जाय) समय से न आने वालों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये तथा अभिलेख संविदाकर्मी की पत्रावली में प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखा जाये।
7. **भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 मे पोषण पुनर्वास केन्द्र के संविदा मानव संसाधन हेतु पुनर्रक्षित दर के अनुसार मानदेय स्वीकृत किया गया है अतः 1 अप्रैल 2015 से अब तक किये गए भुगतान पर नवीन मानदेय के अनुसार Arrears का भुगतान कर्मचारी के खाते में स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करे।**

8. वित्तीय वर्ष के दौरान पोषण पुनर्वास केन्द्र मे अगर कोई भी मानव संसाधन का पद रिक्त है और उसका पद स्वीकृत हो और मानदेय उपलब्ध हो तो उस मानव संसाधन की नियुक्ति नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से शीघ्र करे।
9. **जिला स्तरीय टीम प्रत्येक तीन माह के अन्तराल पर संयुक्त रूप से पोषण पुनर्वास केन्द्र एवं कार्यरत मानव संसाधन के कार्य का अनुश्रवण किया जायेगा एवं टीम द्वारा समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/नोडल अधिकारी–एन0आर0सी0/ विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया जायेगा जिला स्तरीय टीम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल अधिकारी–एन0आर0सी0/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक शामिल होंगें।**
10. इस कार्यालय के पत्र संख्या– एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0 एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

2– मानव संसाधन एवं दायित्व :–

कार्यक्रम संचालन हेतु पुर्नवास केन्द्र पर निम्न स्टाफ की आवश्यकता होगी ।

- चिकित्सा अधिकारी –1 (संविदा पर)
- न्यूट्रीशनिस्ट काउन्सलर –1 (संविदा पर)
- स्टाफ नर्स –4 (संविदा पर)
- रसोईया –1 (संविदा पर)
- केयर टेकर –1 (संविदा पर)
- सफाई कर्मी –1 (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)

3– चिकित्सा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :–

चिकित्सा अधिकारी द्वारा गम्भीर कुपोषित बच्चों का निदान एवं उपचार करना, दवा के बारे में स्टाफ नर्स, न्यूट्रीशनिस्ट व परिवार के सदस्यों को बताना। जॉच के उपरान्त लक्षणों के अनुसार न्यूट्रीशनिस्ट को आहार की मात्रा तय करने तथा सभी कर्मियों का आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करना। **जिला पुरूष चिकित्सालय/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 के नोडल अधिकारी–एन0आर0सी0/अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ समन्वय रखना।** भर्ती बच्चों को सायंकालीन राउन्ड कर उनकी समुचित देखभाल करना, स्टाफनर्स को आवश्यक निर्देश देना, दवाइयों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, सेमचार्ट एवं एन0आर0सी0 रजिस्टर का नियमित अवलोकन करना माह के अन्त में प्रारूप पर मासिक रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी/महानिदेशक परिवार कल्याण एवं एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करना। प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित मासिक बैठक में पोषण पुनर्वास केन्द्र पर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के विषय में जानकारी देना, गम्भीर कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन को बढावा देने हेतु संलग्न–1 सामुदायिक स्तरीय संर्दभन कार्यप्रणाली का उपयोग किया जाय।

- भर्ती किये जाने वाले बच्चों के बारे में ब्लॉक स्तर पर आयोजित आशाओं तथा आंगनवाड़ी की बैठक में आशाओं को प्रशिक्षित करना तथा दिये जाने वाले इन्सेन्टिव की जानकारी देना। वाहन की व्यवस्था संयुक्त रूप से अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा डी0सी0पी0एम0 के साथ समन्वय कर भ्रमण की व्यवस्था की जा सकती है। उक्त के साथ एन0आर0सी0 में तैनात संविदा कर्मियों के दायित्व का पर्यवेक्षण करना तथा प्रशिक्षण देना।

4– **न्यूट्रीशनिस्ट के कार्य एवं दायित्व :–**

प्रत्येक बच्चे के वज़न और स्थिति के अनुसार प्रतिदिन आहार तय करना। रसोइया को आहार तैयार करने हेतु किस वस्तु को कितनी मात्रा में कब मिलाना है और कितना मिलाना है के विषय में निर्देशित करना होगा न्यूट्रीशनिस्ट को प्रातः 9:00 बजे से 5:00 बजे तक बच्चों की देखभाल करनी होगी।

- माताओं को पोषण पुर्नवास केन्द्र एवं घर पर पोषण आहार, बच्चे की देखभाल, स्वास्थ्य एवं साफ सफाई करने संबंधित विषयों पर प्रतिदिन परामर्श सत्र आयोजित कर सलाह देना।
- स्टाफ नर्स, रसोइया एवं केयर टेकर के साथ मिलकर सुनिश्चित करना कि वार्ड में भर्ती बच्चों को सभी आहार, सूक्ष्म पोषक तत्व, दवाइयों एवं टीकाकरण की सुविधा प्राप्त हो सके।

- पोषण पुर्नवास केन्द्र के रख रखाव एवं खाना बनाने के लिए आवश्यक समस्त सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- न्यट्रीशनिस्ट को सूक्ष्म पोषक तत्वों की मानकानुसार जानकारी होना चाहिये।
- चिकित्सक को प्रत्येक बच्चे की स्थिति जैसे वज़न में हुई बढ़ोतरी, कमी, लिया गया आहार एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना।
- हर दिन नियत समय पर (सुबह 10.00 बजे) प्रत्येक बच्चे का वज़न लेकर माँ को बतलाना, उसे परामर्श देना एवं सैम चार्ट में अंकित करना। पोषण पुर्नवास केन्द्र से संबंधित समस्त सामग्री का लेखा जोखा स्टाफ नर्स के साथ मिलकर रखना। बच्चे का, सैम चार्ट, एन0आर0सी0 रजिस्टर, डिर्स्चाज टिकिट, फोटो एल्बम का रख–रखाव एंव मासिक भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।
- वेब–बेस्ड एन0आर0सी0 एम0आई0एस0 डेटाइन्ट्री एवं रिपोर्टिगं का कार्य भी आपके द्वारा किया जायेगा।
- स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित बैठक में भाग लेकर पोषण पुनर्वास केन्द्र पर दी जा रही सेवाओं के बारे में प्रचार–प्रसार करना आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री को Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना तथा कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन के लिये प्रेरित करना।
- बच्चो की भर्ती की संख्या, दिन, दिनांक का ग्रामवार एवं आशावार/आंगनवाड़ी के अनुसार ब्यौरा रखा जाये तथा इसे DPO/CDPO को प्रभावी फॉलो–अप के लिए प्रत्येक माह अवगत कराया जाये।
- सप्ताह में 2 बार समय निकाल कर प्रसव पूर्व/प्रसव उपरान्त महिला वार्ड में स्तनपान को बढावा देने के विषय में माताओं को जानकारी देना, उससे होने वाले लाभ एवं कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना। कितने महिलाओं को इसकी जानकारी दी गयी है की तिथिवार पूर्ण जानकारी अपनी डायरी में अंकित करें।

5– स्टाफ नर्स के कार्य एवं दायित्व :–

- केन्द्र में भर्ती गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना। स्टाफ नर्स की डियूटी रोटेशन के अनुसार 8–8 घंटे की होगी।
- चिकित्सक के अनुसार हर बच्चे को दवाइयां देना एवं इंजेक्शन लगाना। चिकित्सक के द्वारा लिखे गए इलाज की हर खुराक की निगरानी करना एवं सैम चार्ट में अंकित करना।
- सुनिश्चित करना कि हर बच्चे को छूटे हुए टीकाकरण का लाभ मिल सके। (हर बच्चे का सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना)
- पोषण पुर्नवास केन्द्र में उपलब्ध दवाओं की उपलब्धता, उपयोग एवं खरीद सम्बन्धी सूची बनाना।
- बच्चे का सैम चार्ट, एन0आर0सी0 रजिस्टर, डिर्स्चाज टिकिट, फोटो एल्बम का रख–रखाव की स्टाफनर्स व न्यूट्रीशनिस्ट दोनों की जिम्मेदारी होगी।
- स्टाफ नर्स को मानकानुसार दवायों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी होना आवश्यक है एवं बच्चों को मानक के अनुसार दवायें देने के बारे में सेम चार्ट में अंकित किया जाये।
- चिकित्सक तथा न्यूट्रीशनिस्ट से परस्पर तालमेल रखकर बच्चे की देखभाल तथा आवश्यकता के अनुसार बच्चे को दवा देना, बच्चे की साफ–सफाई रखना, बिस्तर साफ रखना, वज़न लेना, यदि अन्य कोई संक्रमण या बीमारी है तो चिकित्सक से परामर्श कर दवा देना आदि स्टाफ नर्स की जिम्मेदारी है। कितने बच्चे भर्ती किये गये कितने डिस्चार्ज किये गये का रखरखाव भी स्टाफ नर्स की ही जिम्मेदारी है मां को बच्चे की देखभाल के बारे में बताना। चिकित्सक की अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल कर उसका हाल चिकित्सक को बताना जिससे सही इलाज हो सके।
- न्यूट्रीशनिस्ट की डियूटी समाप्त होने के उपरान्त डियूटी पर उपस्थिति स्टाफ नर्स द्वारा बच्चों को चिकित्सक/न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा निर्धारित की गयी डाईट के अनुरूप आहार तैयार कर, बच्चे को दिया जायेगा।
- डियूटी स्टॉफ नर्स, रसोईया की डियूटी के पश्चात चिकित्सक/न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा निर्धारित की गयी डाईट के अनुरूप आहार रसोईया से समन्वय कर बच्चे को प्रदान करेगी।
- भर्ती बच्चे के माता पिता को संन्तुलित आहार एवं पौष्टिक आहार के बारे में शिक्षित करना तथा बच्चों में कुपोषण से बचाव के बारे में समझाना।

- समय निकाल कर प्रसव पूर्व/प्रसव उपरान्त महिला वार्ड में स्तनपान को बढावा देने के विषय में माताओं को जानकारी देना, उससे होने वाले लाभ एवं कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना। कितने महिलाओं को इसकी जानकारी दी गयी है की तिथिवार पूर्ण जानकारी अपनी डायरी में अंकित करें।
- आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री को Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना तथा कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन के लिये प्रेरित करना।

6– रसोईया के कार्य एवं दायित्व :–

- न्यूट्रीशनिस्ट के निर्देशानुसार भोजन बनाना, केयर टेकर से सम्पर्क स्थापित कर समय से भोजन तैयार करना।
- रसोई की साफ सफाई सुनिश्चित करना। खाना पकाने एवं रसोई में भंडारण के लिए उपयोग किये जाने वाले बर्तनो को साफ करना।
- सुनिश्चित करना कि भोजन साफ सफाई से तैयार हो एवं बच्चे के लिए सुरक्षित भी हो। यह भी सुनिश्चित करना कि वार्ड में बच्चे को कोई भी अन्य खाद्य सामग्री न दी जाये।
- बच्चों की मांताओं को पोषक आहार बनाने की विधि प्रदर्शित करें ताकि छुटटी के उपरान्त मांतायें अपने घर में भी बच्चे को पोषित आहार दे सकें।
- रसोईया अपनी डूयूटी के पश्चात बच्चों को दिये जाने वाले आहार की व्यवस्था के बारे में डूयूटी स्टॉफ नर्स को सूचित करेगा।

7– केयर टेकर के कार्य एवं दायित्व :–

- वार्ड, स्नान गृह, रसोई एवं भोजन करने के स्थान की साफ सफाई सुनिश्चित करना। प्रत्येक बच्चे, उसके माता–पिता एवं अभिभावक की व्यक्तिगत साफ–सफाई सुनिश्चित करना।
- रसोइया को सभी बच्चों को आहार/भोजन वितरण करने में मदद करना।
- सुनिश्चित करना कि प्रत्येक मां अपने बच्चे को सभी भोजन खिलाएं एवं इसकी जानकारी आहार तालिका में नियमित रूप से दर्ज हो जाए।
- प्रत्येक बच्चे का मनो–सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हें खेलकूद में व्यस्त करना, उनसे बातचीत करना एवं उनकी माताओं को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- आवश्यकता अनुसार बच्चों को भोजन देने एवं उनके आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु माताओं को जानकारी देना।

8– सफाई कर्मी के कार्य एवं दायित्व :–

- एन0आर0सी0 वार्ड की रसोई, बच्चों के प्ले एरिया एवं शौचालय की नियमित साफ सफाई करेगें। सफाई कर्मी को सफाई की उपयोगिता के महत्व की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाय। कूड़े का निस्तारण करने हेतु मानकों के अनुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चत की जाय।
- सफाई कर्मी को वार्ड के मानकों के अनुसार कूड़ा निस्तारण के बारें में प्रशिक्षित किया जाय प्रशिक्षित कर्मी वार्ड में भर्ती मरीजों के माता पिता को सफाई एवं संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी देना एवं जागरूक करना।

9– गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की भर्ती के मानक (निम्न में से कोई एक मानक)–

बच्चों के भर्ती के मानक	
6 माह से 59 माह	1–बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न– (–3) एस0डी0 से कम
	2–बच्चे की मिड अपर आर्म का माप– 11.5 से0मी0 से कम
	3–बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा।
6 माह से कम उम्र के बच्चों	1–बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न– (–3) एस0डी0 से कम (45 सेन्टी मीटर से अधिक के लिये) 2–बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा। 3–देखने में अति गंभीर कुपोषित (45 सेन्टीमीटर से कम के लिये)

गंभीर कुपोषित बच्चों में कभी कभी अन्य जटिलताये हो सकती है उन्हें प्राथमिकता के अनुसार उपचार हेतु भर्ती किया जाय।

नोटः–

1. सामान्यतः कुपोषित बच्चों को 10–15 दिन तक भर्ती रखा जायेगा परन्तु यदि बच्चे में मानक के अनुसार सुधार नहीं हुआ है अथवा कोई अन्य जटिलता है तो बच्चे को चिकित्सक की सलाह से 4 सप्ताह तक भर्ती रखा जा सकता है ऐसे बच्चों की केस सीट आडिट हेतु सुरक्षित रखी जाय। जो बच्चे दो सप्ताह के उपरान्त भी केंद्र मे भर्ती रहेंगे उनको यथावत धनराशी देय होगी।
2. आंगनवाड़ी द्वारा नये डब्लू0एच0ओ0 ग्रोथ चार्ट द्वारा चिन्हित गंभीर अल्प वज़न वाले बच्चों में से केवल उन्हीं बच्चों की भर्ती की जायेगी जिनका "मिड अपर आर्म सर्कमफियरेन्स' (MUAC) 11.5 से.मी. से कम होगा एवं पैरों में पिटिंग सूजन होगी।
3. चिन्हित बच्चों में से ए0एन0एम0 / आशा / ऑगनवाड़ी बच्चे को भर्ती कराने से पहले (MUAC) 11.5 से.मी. से कम एवं पैरों में पिटिंग सूजन की जॉच कर लेने की जानकारी अवश्य दी जाय।

<u>10– बच्चों के छुट्टी के मानकः–</u>

- वज़न में 15 प्रतिशत की वृद्धि।
- 5 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति दिन की वृद्धि लगातार 3 दिन।
- बच्चे की भूख वापस आना।
- शरीर पर सूजन न होना,
- बच्चे के अन्य बीमारी के लक्षण के उपचार हो जाने पर।

<u>11– कुपोषित बच्चों के उपचार के उपरान्त फॉलोअप :–</u>

- पोषण पुनर्वास केन्द्र के उपचार के उपरान्त 2 माह में 4 बार फॉलोअप 15 दिन के अन्तराल पर किया जाना है। छुट्टी के समय डिस्चार्ज टिकट पर फॉलोअप की दिनांक अंकित की जाय तथा मां को इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय।
- किसी भी फॉलोअप के दौरान अगर बच्चे का weight-for-height/length **SD score**-1SD अथवा **MUAC** 12.5 cm या उससे अधिक हो तो बच्चे को आगामी फॉलोअप विजिट से छूट दी जा सकती है।
- सप्ताह में बच्चों के फॉलोअप के लिये 2 दिन निश्चित किये जाये तथा छुट्टी के समय मां को इन दिनों की जानकारी लिखित एवं मौखिक रूप से दी जाय।

12– रिपोर्ट का प्रेषणः–

पत्र के साथ मासिक एवं त्रैमासिक भौतिक प्रगति के प्रेषण हेतु प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। प्रत्येक माह भौतिक प्रगति रिपोर्ट आगमी माह की 7 तारीख तक मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक के कार्यालय को भेजी जाय। बच्चे की विस्तृत कम्प्यूटराइज्ड रिपोर्ट भी प्रत्येक माह तैयार की जाय। रिपोर्ट, तैयार करने की जिम्मेदारी न्यूट्रीशनिस्ट एवं स्टाफ नर्स की होगी। रिपोर्ट, मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक के कार्यालय को भेजने की जिम्मेदारी चिकित्सक की होगी।

<u>कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन</u>

पोषण पुर्नवास केन्द्र पर अति कुपोषित बच्चे की भर्ती के मानक तथा छुट्टी के मानक एवं दी जाने वाल सुविधाओं की जानकारी (**<u>प्रोटो टाइप संलग्न</u>**) व पारिदर्शिता के लिये 2 फीट चौड़ी व 3 फीट लम्बाई के अलग अलग फ्लैक्स बैनर बनवा कर लगवाये जाये अथवा वाल पेन्टिंग पोषण पुनर्वास केन्द्र के बाहर एवं अन्दर कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। अति कुपोषित बच्चे की भर्ती के मानक तथा छुट्टी के मानकों को आंगनवाड़ी / आशाओं को बताया जाये। पोषण पुर्नवास केन्द्र की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकरी द्वारा समय समय पर केन्द्र का अनुश्रवण करेंगे। परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा भी औचक निरीक्षण किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2015–16/ 7542-42-17 दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव**, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. **सम्बन्धित मण्डलायुक्त,** उत्तर प्रदेश।
4. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा एन0आर0सी0 की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
5. **महानिदेशक,** राज्य पोषण मिशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
6. **महानिदेशक, चिकित्सा** शिक्षा, जवाहर भवन लखनऊ।
7. **निदेशक,** आई0सी0डी0एस0, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. **सम्बन्धित जिलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति।
9. **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
10. **संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
11. **कुलपति,** अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
12. **प्रधानाचार्य,** एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झाँसी।
13. **विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग,** एन0आर0सी0 कोऑर्डिनेटर, जे0एन0 मेडीकल कॉलेज अलीगढ, एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर, बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झाँसी को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
14. **सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,** जिला पुरूष चिकित्सालय को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
15. **प्रभारी/चिकित्सा अधीक्षक,** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, तालबेहट, मेहरौनी, मढावरा, बिरघा, बार, जखोरा को इस आश्य के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
16. **सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय** कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि वे जिला परियोजना अधिकारी एवं जनपद के उल्लेखित पृष्ठांकित अधिकारियों को एक प्रति उपलब्ध करा दें।
17. **न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट,** यूनिसेफ, बी–3/258, विशालखन्ड, गोमतीनगर, उ0प्र0 लखनऊ।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य